

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या .09/19 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

वनाम

श्री श्रीतामसिंह पुत्र रूप सिंह

पटवारी हल्का गिराठ

जाति राजपूत निवासी दुपटिया
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज वमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराठ ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम गिराठ के खसरा नम्बर 752 कवा 912-09 वीघा में से 6 वीघा किस्म किराठ गेहूँ कीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काय्य किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तत्काल किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पूर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर सच्चाई रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

टी. आर .ए .पटवारी हल्का , निरीक्षक भूअ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर .ए के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 27.05/19 को सरेआम सुनाया गया।

जुमाना 50/- फसल नि. 38.50/-
कुल योग 38.50/- रजि.के पृष्ठ सं. 23
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया :

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार गडरारोड़
तहसीलदार गडरारोड़